

अध्याय प्रथम

शोध परिचय

अध्याय प्रथम

शोध परिचय

1.1.0 भूमिका

मानवीय विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है – भाषा। भाषा के सहारे व्यक्ति न केवल अपने विचार व्यक्त करता है, बल्कि उसे दूसरे तक सम्प्रेषित भी करता है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं यह चिरपरिवर्तनशील है। मानवी सम्यता और संस्कृति के विकास में भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है इसीलिए ए. पेई नामक विद्वान ने लिखा है—

“भाषा की कहानी सम्यता की कहानी है।”¹

जिस साधन से हम अपने भाव या विचार दूसरों तक पहुँचा सकते वह भाषा है। भाषा की यह परिभाषा बहुत व्यापक है। महर्षि पतंजलि ने यह परिभाषा इस प्रकार दी है—

“भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं।”²

/ भाषा हमारे सम्प्रेषण का महत्वपूर्ण माध्यम और भावबोध का अन्यतम साधन है। सम्प्रेषण व्यापार के संदर्भ में यह देखा जा सकता है कि, इसके एक छोर पर ‘सम्बोधक’ होता है जो किसी ‘संदेश’ को भेजता है और दूसरे छोर पर ‘सम्बोधित’ होता है जो इस ‘संदेश’ को ग्रहण करता है। सम्बोधक और सम्बोधित के सम्प्रेषण व्यापार के माध्यम के रूप में भाषा रहती है। इस भाषा के सहारे सम्बोधक अपने अव्यक्त संदेश को व्यक्त करता है और इसी भाषा में अभिव्यक्त संदेश को अर्थ के रूप में सम्बोधित ग्रहण करता है। अभिव्यक्ति के स्तर पर भाषा के मौखिक एवं लिखित दो रूप होते हैं। मौखिक रूप में अभिव्यक्ति का साधन ध्वनि है। सम्बोधक के रूप में वक्ता संदेश को भाषा में बाँधकर मुँह से उच्चारित करता है और सम्बोधित के रूप में श्रोता उसे सुनकर अर्थग्रहण करता है। इसके विपरीत लिखित रूप में भाषिक अभिव्यक्ति का साधन लेखन होता है। इस संदर्भ में सम्बोधक के रूप में लेखक संदेश को लिखकर व्यक्त करता है और सम्बोधित के रूप में पाठक पढ़कर उसका अर्थ समझता है।

उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि, व्यक्ति के पास भाषा ही अभिव्यक्ति का एक प्रमुख साधन है। भाषा ही मानव के ज्ञानात्मक, भावात्मक और कार्यात्मक क्षेत्र में उसके सर्वोत्तम का विकास कर उसकी आत्मानुभूति, उसके अपने सृजक के साथ एकरस, एकलीन होने का माध्यम है। संसार में कुल मिलाकर लगभग ढाई सौ भाषाएँ हैं, जिनमें तेरह ऐसी भाषाएँ हैं, जिनके बोलने वालों की संख्या साठ करोड़ से अधिक है। संसार की भाषाओं में हिन्दी भाषा को तृतीय स्थान प्राप्त है। आज अपने देश में इसके बोलने वालों की संख्या तीस करोड़ के आस-पास है। ऐशिया महादेश की भाषाओं में हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है, जो अपने देश के बाहर बोली और लिखी जाती है। आज अपने देश में हिन्दी का कम महत्व नहीं है।

¹ सिंह सावित्री (2003) “हिन्दी शिक्षण”

² सिंह सावित्री (2003) “हिन्दी शिक्षण”

हिन्दी हमारे देश में युग—युग से विचार विनिमय का माध्यम रही है। यह केवल उत्तर भारत की भाषा नहीं, बल्कि समुच्चे देश को एक सूत्र में बांधने वाली भाषा है। भारत यह एक ऐसा देश है, जिसमें बहुधर्मी, बहुभाषायी लोग निवास करते हैं। इन विभिन्नताओं में एकता लाने का कार्य हिन्दी भाषा के द्वारा ही संभव है। हिन्दी भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है।

राष्ट्रकवि दिनकर के शब्दों में—

“हिन्दी तोड़ने वाली नहीं जोड़ने वाली भाषा है। हिन्दी भाषी प्रान्तों में अनेक जनपदीय भाषाएँ हैं, हिन्दी ने सभी हिन्दी भाषी प्रान्तों को एक सूत्र में बांध रखा है। यही नहीं हिन्दी का एक अदृश्य तार गुजरात से लेकर असम तक सारे उत्तर भारत को एक धारे में बांधे हुए है।”¹

1.1.1 राष्ट्रभाषा के रूप में हिन्दी भाषा का महत्व

हमारा देश एक बहुभाषी देश है जिसमें विभिन्न प्रान्तों में और स्थानों पर अलग—अलग भाषाएँ बोली जाती हैं। भाषाएँ बहुत हैं। इनमें से केवल 18 भाषाओं को हमारे संविधान में प्रमुख भाषाएँ मानकर उल्लेख किया गया है। ये प्रमुख भाषाएँ हैं— हिन्दी, गुरुमुखी यानी पंजाबी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलगू, कन्नड़, उड़िया, बंगला, असमी, उर्दू, कश्मीरी, सिन्धी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, मलयालम और संस्कृत। काफी सोच—विचार के बाद इन भाषाओं में हिन्दी को राष्ट्रभाषा का सम्मान देने का निर्णय संविधान के अंतर्गत किया गया परन्तु साथ ही यह भी जोड़ दिया गया कि जब तक अहिन्दी भाषी प्रान्तों में इसे स्वेच्छा से स्वीकार नहीं किया जाए, सरकारी काम—काज के लिए अंग्रेजी का भी द्वितीय राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया जाता रहेगा। संविधान निर्माताओं तथा तत्कालीन राजनीतिज्ञों द्वारा यहाँ ही एक बड़ी भूल हो गई जिसके दुष्परिणाम के कारण स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षों पश्चात् भी हिन्दी को सम्पूर्ण रूप से राष्ट्रभाषा का क्रियात्मक रूप से स्थान नहीं मिल पाया है। अहिन्दी भाषी क्षेत्रों, विशेषकर सुदूर दक्षिणी प्रान्तों के हिन्दी वैर के कारण तथा राजनैतिक दाँवपेंचों की वजह से हिन्दी के लिए अंग्रेजी को हटाकर अपना सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त करने की बात सरकारी तौर से अब दूर की होकर रह गई है। परन्तु यदि स्थिति का अवलोकन किया जाये तो हिन्दी में अब उन सभी शक्ति, सामर्थ्य और गुणों के दर्शन हो सकते हैं जो एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए आवश्यक रूप से चाहिए। परिणामस्वरूप राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिन्दी का महत्व दिनोंदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसके मूल में मुख्यतया निम्नलिखित बातें हैं :

- संविधान में वर्णित 18 मुख्य भाषाओं में से हिन्दी ही मात्र एक ऐसी भाषा है जिसे सम्पूर्ण भारत की जनभाषा का दर्जा दिया जा सकता है। यह भाषा लगभग सम्पूर्ण भारत में बोली तथा समझी जाती है।
- हिन्दी और भारत की अन्य भाषाओं का शब्द—भण्डार बहुत कुछ समान है। अतः भारत में रहने वाले सभी व्यक्तियों के लिए हिन्दी सीखना काफी सरल है। यहाँ तक कि दक्षिण की कोर्ड सी एक भाषा को सीखने वाले दक्षिण की किसी दूसरी भाषा को इतनी शीघ्रता और आसानी से नहीं सीख सकते जितना कि वे हिन्दी को सीख सकते हैं।
- उत्तर और मध्य भारत के बहुत से प्रान्तों एवं क्षेत्रों की यह मातृभाषा है।
- हिन्दी भारत की सांस्कृतिक एकता की प्रतीक है। राजनैतिक जागरण का भी स्त्रोत रही है।

¹ मंगल, उमा (1991) “हिन्दी शिक्षण”

- हिन्दी की नागरी लिपि वैज्ञानिक आधार पर काफी श्रेष्ठ है और हिन्दी में लिखा साहित्य भी श्रेष्ठता की दृष्टि से संसार की किसी भी भाषा से हीन नहीं है।
- हिन्दी को उसी रूप में राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा का सम्मान संविधान के अंतर्गत दिया गया है जितना कि राष्ट्रीय चिह्न के रूप में अशोक चक्र, राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा ध्वज तथा राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मोर को दिया हुआ है। यह हमारी राष्ट्रीय एकता तथा भावनात्मक एकता की प्रतीक है।
- हिन्दी को राजभाषा तथा राष्ट्रभाषा के रूप में सरकारी काम काज करने की भाषा बनाया हुआ है। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि राज्यों को अपना कार्य क्षेत्रीय भाषा में करने की स्वतंत्रता है परन्तु संघ का कार्य राष्ट्रभाषा हिन्दी में होगा। परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार का सारा कार्य हिन्दी में चलाने की आज पूरी व्यवस्था है। केन्द्र से राज्य सरकारों का पत्र-व्यवहार हिन्दी में ही होता है। हाँ, आवश्यकतानुसार उसका अंग्रेजी अनुवाद भी प्रेषित किया जा सकता है। केन्द्रीय सरकार की सभी नौकरियों के लिए हिन्दी का साधारण ज्ञान अपेक्षित बनता जा रहा है और राष्ट्रीय सेवाओं के लिए आयोजित परीक्षाओं में हिन्दी को प्रमुख स्थान मिलता जा रहा है तथा अंग्रेजी की अनिवार्यता हटती जा रही है।

इस तरह हिन्दी शनैः – शनैः व्यवहारात्मक रूप से राष्ट्रभाषा का सम्पूर्ण गौरव प्राप्त करने की और अग्रसर हो रही है और अगर हम दक्षिणी प्रान्तों के निवासियों के हृदय से हिन्दी के बारे में फैली हुई भ्रान्तियों, शंकाओं तथा डर को निकाल सके तथा वहाँ हिन्दी भाषा को सीखने का सहज वातावरण तैयार कर सकें तो वह दिन दूर नहीं जब हिन्दी राष्ट्रभाषा के रूप में अपना पूर्ण स्थान प्राप्त करने में सफल होकर राष्ट्र की राजनैतिक, भावात्मक, सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बनकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी मान्यता प्राप्त करने की ओर अग्रसर हो सकेगी।

1.1.2 शिक्षा में हिन्दी भाषा का महत्व

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उनके समाजीकरण में भाषा का पूरा योगदान होता है। यह माना जाता है कि मानव में भाषा अर्जन और भाषा व्यवहार की सहज क्षमता रहती है। इसके कारण ही वह जन्म से ही भाषा को अर्जित करना प्रारंभ कर देता है। सबसे पहले वह अपने परिवेश में प्रचलित भाषा को सीखता है।

अहिन्दी भाषी क्षेत्र में हिन्दी भाषा द्वितीय भाषा के रूप में विद्यालय में पढ़ाई जाती है। इस भाषा का विशेष महत्व रहता है। भिन्न-भिन्न राज्यों के व्यक्तियों को एक दूसरे के सम्पर्क में रहने के लिये हिन्दी भाषा अत्यंत उपयोगी सिद्ध होती है। शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे नवीन परिवर्तन के साथ-साथ अनेक नवीन खोजों को भाषा के माध्यम से अहिन्दी भाषी क्षेत्र के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को जानकारी मिलती है। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा पर शिक्षा को लेकर हो रहे संगोष्ठी कार्यप्रणाली में विद्यार्थी आसानी से भाग ले सकते हैं। यह सब तभी संभव हो सकेगा जब हिन्दी भाषा की उपलब्धि अहिन्दी भाषी क्षेत्र के विद्यार्थियों में प्राथमिक स्तर से ही अच्छी होगी। राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभ्यास के लिये हिन्दी भाषा अत्यन्त उपयोगी है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में हो रही नवीन क्रान्ति तथा प्रयोग के लिये हिन्दी भाषा का अपना विशिष्ट महत्व है। दुर्भाग्य की बात है कि विदेशी भाषा के मोह में पड़कर हम अपनी भाषा से दूर हो रहे हैं और अपनी सभ्यता एवं संस्कृति से अपरिचित रहकर हीनता से ग्रस्त होते जा रहे हैं। भारतेन्दु हरिशंद्र ने कहा था, कि –

“अंग्रेजी पढ़िके जदपि, सब गुण होत प्रवीण।

पै निज भाषा ज्ञान बिन, रहत हीन के हीन।”¹

उच्च ज्ञान प्राप्त करने हेतु भी द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी का महत्व है ।

- हिन्दी भाषा के महत्व के बारे में आयोग के विचार

शिक्षा में हिन्दी भाषा के महत्व को स्पष्ट करते हुए विभिन्न आयोग ने अपने—अपने विचार प्रस्तुत किये हैं जो निम्नलिखित हैं —

➤ राधाकृष्णन् आयोग (1948–1949)

राधाकृष्णन् आयोग ने शिक्षा में हिन्दी भाषा के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि —

- 1) उच्च शिक्षा का माध्यम यथाशीघ्र अंग्रेजी को हटाकर किसी सम्पन्न भारतीय भाषा को बनाया जाए।
- 2) उच्च शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा हो, परन्तु एक या अधिक विषयों के अध्ययन का माध्यम राष्ट्रभाषा को चुना जाए। अर्थात् हमारी राष्ट्रभाषा हिन्दी है जो हिन्दी के महत्व को स्पष्ट करता है।

➤ मुदलियार आयोग (1952–1953)

मुदलियार आयोग ने शिक्षा में हिन्दी भाषा के महत्व को स्पष्ट करते हुए निम्नलिखित सुझाव दिये हैं —

- 1) मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा ही शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाये, परन्तु अल्पभाषी विद्यार्थी के लिए केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति द्वारा प्रस्तुत सुझावों को स्वीकार किया जाए।
- 2) माध्यमिक स्तर पर एक तो मातृभाषा तथा दूसरी अन्य कोई आधुनिक भारतीय भाषा पढ़ायी जानी चाहिए। आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में हिन्दी भाषा को स्वीकारा गया है जो हिन्दी भाषा के महत्व को स्पष्ट करता है।

➤ कोठारी आयोग (1964–1966)

कोठारी आयोग ने निम्न सुझाव दिये —

- 1) हिन्दी संघ की राष्ट्रभाषा है और आशा है कि कालान्तर में वह देश की जनभाषा बन जायेगी। अतः भाषा पाठ्यचर्चा में मातृभाषा के बाद इसका ही स्थान होगा।
- 2) हिन्दी या अंग्रेजी को दूसरी भाषा के रूप में अनिवार्यतः किसी अवस्था से शुरू किया जाए और वह स्थानीय अभिप्रेरणा और आवश्यकता पर निर्भर करती है और इसे प्रत्येक राज्य के विवेक पर छोड़ देना चाहिए।

- हिन्दी राजभाषा संबंधी संवैधानिक उपबंध

भारत के संविधान में हिन्दी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। संविधान में राजभाषा संबंधी कई संवैधानिक उपबंध हैं।

संविधान के भाग 17 के

¹ मंगल, उमा. (1991) “हिन्दी शिक्षण”

- अनुच्छेद – 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी।
- अनुच्छेद – 351 में हिन्दी भाषा के प्रचार–प्रसार और उसके विकास के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिये गए हैं। जिनमें कहा गया है कि –

‘संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिन्दी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करें ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके।’

- अनुच्छेद – 344 के अनुसरण में 1955 में राजभाषा आयोग की नियुक्ति की गई जिसकी परीक्षा के लिए इस अनुच्छेद के खंड – 4 के अनुसार लोकसभा से 20 और राज्यसभा से 16 सदस्यों की एक संसदीय समिति गठित की गई। जिसने अपनी रिपोर्ट 08.02.1959 को प्रस्तुत की।

1975 ई. में गृह मंत्रालय के अंतर्गत राजभाषा विभाग की स्थापना की गई, जिससे कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को तेजी से बढ़ाया जा सके।

- **हिन्दी भाषा प्रचार–प्रसार समितियाँ**

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और उनके अधीन निगमों, उपक्रमों तथा कंपनियों में राजभाषा हिन्दी का प्रचार–प्रसार बढ़ाने के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया हैं, जो निम्न प्रकार हैं –

- केन्द्रीय हिन्दी समिति – प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित यह एक उच्च समिति है, जिसमें महत्वपूर्ण मंत्रालयों और कुछ मुख्यमंत्रियों तथा कुछ संसद सदस्यों और हिन्दी सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं। राजभाषा विभाग के सचिव इसके सदस्य सचिव होते हैं और इस समिति का निर्णय मंत्रिमंडल का निर्णय माना जाता है।
- हिन्दी सलाहकार समितियाँ – सभी मंत्रालयों के मंत्रियों की अध्यक्षता में हिन्दी सलाहकार समितियों का गठन किया गया है जिनकी बैठकें तीन महीनों के बाद होती हैं। इनमें नामित संसद सदस्यों के अलावा स्वयंसेवी हिन्दी संस्थाओं के सदस्य भी होते हैं। यह समिति अपने–अपने मंत्रालयों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए परामर्श देती है।
- राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ – प्रत्येक विभाग और कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ होती हैं, जो संबंधित विभागों और कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करती है। और राजभाषा कार्यान्वयन करती है। इसकी बैठकें तीन महीने में एक बार होती हैं।

1.1.3 प्रारंभिक स्तर पर हिन्दी शिक्षण

शिक्षा के विभिन्न स्तरों में से प्राथमिक स्तर महत्वपूर्ण माना जाता है। आज देश में प्रारंभिक स्तर पर हिन्दी भाषा का ज्ञान विद्यार्थी अपनी रुचि, योग्यता, शिक्षक की शिक्षण कुशलता पर आधारित होता है। जिस क्रिया द्वारा विद्यार्थियों को हिन्दी भाषा से संबंधित भाषा कौशलों में प्रवीणता प्रदान करके उसके चिन्तन तथा अभिव्यक्ति को प्रभावशाली बनाया जाता है तथा जीवन से संबंधित किसी भी विषय का अध्ययन करने का सामर्थ्य विकसित किया जाना है उसे ही हिन्दी शिक्षण कहा जाता है।

हिन्दी तथा अहिन्दी भाषी प्रदेशों में हिन्दी के शिक्षण में पर्याप्त अन्तर है। पिछली शताब्दी तक बहुभाषी होना व्यक्ति की सांस्कृतिक सम्पन्नता का द्योतक था, किन्तु आज की स्थिति सर्वथा भिन्न है, अब वह एक व्यावहारिक आवश्यकता बन गई है। इसकी सवीं शताब्दी में द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में भाषा की जानकारी के इस लक्ष्य परिवर्तन को समझना अति आवश्यक है। आज

हम एक—दो प्रमुख भाषाओं की जानकारी केवल इसलिए नहीं करना चाहते कि उस भाषा में उचित उच्च साहित्य का रसाखादन कर सकें अपितु इसलिए भी करना चाहते हैं कि अन्य भाषा भाषी व्यक्तियों के जीवन को व्यापक स्तरपर समझें, उनके साथ हम जीवनगत उपलब्धियों का आदान प्रदान कर सकें।

अहिन्दी भाषा शिक्षण का तात्पर्य मातृभाषा से भिन्न किसी अहिन्दी प्रदेशों में द्वितीय या तृतीय भाषा के रूप में हिन्दी सिखाना है। हिन्दी अपने देश की राष्ट्रभाषा है हमारे देश में हिन्दी शिक्षण के दो रूप हैं, एक तो हिन्दी भाषा—भाषी प्रदेशों में मातृभाषा के रूप में और दूसरे अहिन्दी भाषा—भाषी प्रदेशों में जिनकी मातृभाषा कुछ और है वहाँ अन्य भाषा (द्वितीय भाषा) के रूप में। आज कल हिन्दी भाषा का प्रचलन विदेशों में भी बढ़ता जा रहा है। आज यूरोप के कई देशों में जैसे—रूस, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बड़े—बड़े विश्वविद्यालयों में हिन्दी एक महत्वपूर्ण विदेशी भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही है। भारत व अन्य देशों के एक दूसरे से करीब आने से हिन्दी का अध्ययन—अध्यापन भी खूब बढ़ता जा रहा है। अधिकांश विश्वविद्यालयों में हिन्दी के प्रोफेसर भाषा वैज्ञानिक ही है और हिन्दी शिक्षण हिन्दी भाषा वैज्ञानिकों की देख—रेख में होता है।

हिन्दी सम्पूर्ण भारत की राष्ट्रभाषा है। यह एकमात्र ऐसी भाषा है, जिसके बोलने वालों की संख्या अधिकांश है। हिन्दी भाषी प्रदेशों में यह मातृभाषा के रूप में कक्षा एक से पढ़ाई जाती है। अहिन्दी भाषी प्रदेशों में हिन्दी द्वितीय भाषा के रूप में कक्षा 4 या 5 से पढ़ाई जाती है।

1.1.4 द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी का महत्व

भारतीय शिक्षा व्यवस्था में द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी का विशेष महत्व है। संवैधानिक दृष्टि से वह भारत की राजभाषा है। मध्यप्रदेश, राजस्थान, बिहार, दिल्ली, हरियाणा इन राज्यों की तो यह मातृभाषा है। देश के अन्य राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक आदि इन अहिन्दी राज्यों में यह द्वितीय भाषा के रूप में कक्षा 4 या 5 से पढ़ाई जाती है। हिन्दी हमारे देश में युग—युग से विचार विनिमय का माध्यम रही है। यह केवल उत्तर भारत की भाषा नहीं, बल्कि दक्षिण भारत के प्राचीन आचार्यों—वल्लभाचार्य, विट्ठल, रामानुज रामानन्द आदि ने भी इसी भाषा के माध्यम से अपने सिद्धांतों और मतों का प्रचार किया था। अहिन्दी भाषी राज्यों के सन्त कवियों आसाम के शंकरदेव, महाराष्ट्र के नामदेव और ज्ञानेश्वर, गुजरात के नरसिंह मेहता, बंगाल के चैतन्य आदि ने इसी भाषा को अपने धर्म और साहित्य का माध्यम बनाया। आज हिन्दी किसी न किसी रूप में पूरे देश में प्रचलित है।

हिन्दी एक जीवित और सशक्त भाषा है। इसने अनेक देशी और विदेशी शब्दों को अपनाया है। इसकी पाचन—शक्ति कमजोर नहीं है। इसने अन्य भाषाओं की धनियों, शब्दों, मुहावरों और कहावतों को अपने अन्दर पचाया है। इस प्रकार हिन्दी ने अपने शब्द भण्डार और अपनी अभिव्यक्ति को समृद्ध किया है। हिन्दी एक जीवित भाषा है, इसका प्रचार—प्रसार बढ़ता जा रहा है। हिन्दी एक सरल भाषा है, जिसके कारण इसका व्यवहार देश के कोने—कोने में हो रहा है। सन् 1949 ई. को दिल्ली में अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा—व्यवस्था—परिषद में एक बंगाली विद्वान् श्री क्षेत्रेशचन्द्र घट्टोपाध्याय ने अपने भाषण में कहा था—

“संसार की ऐसी कोई भी भाषा नहीं है, जिसकी कोई अपनी विशेषता न हो। उसकी यह विशेषता ही अन्य भाषा — भाषियों के लिए उलझान बन जाती है। हमारी बंगला भाषा में ही ऐसी चीजें हैं, जो अन्य भाषा भाषियों के लिए कठिन समस्याएँ हैं। वे लोग इन बारीकियों को समझें बीना जब बंगला भाषा लिखते—बोलते हैं, तब हम लोगों को हँसी आती है। वस्तुतः हिन्दी बहुत सरल

भाषा है। बिना पढ़े और सीखे यह कामचलाऊ हो जाती है। ऐसी कामचलाऊ भाषा तो साधारण होगी ही, इसमें लिंग संबंधी तथा अन्यान्य गलतियाँ भी होगी, पर काम सबका चल जाता है। परन्तु उत्तम टकसाली हिन्दी लिखने बोलने के लिए तो हिन्दी पढ़नी सीखनी होगी। यदि हिन्दी पढ़ने सीखने में दो वर्ष भी अच्छी तरह लगाये जायें, तो किसी भी अहिन्दी भाषी के सामने कोई कठिनाई न रहेगी।¹

उपरोक्त कथन से स्पष्ट है कि, हिन्दी यह एकमात्र ऐसी भाषा है, जो बोलने, लिखने तथा समझने में काफी आसान है। आज देश में अधिकांश क्षेत्रों में इसका व्यवहार में प्रयोग होता है। अग्रलिखित कथनों से भी यह स्पष्ट किया जा सकता है कि, द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी का क्या महत्व है।

भारत यह एक ऐसा देश है। जिसमें बहुधर्मी, बहुभाषायी लोग निवास करते हैं। इन विभिन्नताओं में एकता लाने का कार्य हिन्दी भाषा के द्वारा ही संभव है। लोग एक दूसरे के धर्म, भाषा, वेश, संस्कृति साहित्य का आदर करते हैं। जिससे उनमें भावनात्मक संबंध स्थापित हो जाते हैं।

हिन्दी का सम्पर्क भाषा के रूप में महत्व यह है कि, जब दो या अधिक भाषायी लोग एकत्र आते हैं तब वे अपना सम्पर्क हिन्दी भाषा के द्वारा करते हैं। और वह हमें उद्योग, व्यापार एवं व्यवसाय के क्षेत्र में अधिक दिखाई देता है।


उच्च ज्ञान प्राप्त करने हेतु भी द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी का महत्व है। हिन्दी साहित्य इतिहास का ज्ञान, तथा हिन्दी भाषा की संरचना के ज्ञान, साहित्यकारों, काव्यशास्त्र के ज्ञान प्राप्त करने के लिए हिन्दी का महत्व है।

1.1.5 हिन्दी भाषा के कौशल

मनुष्य अपने विचारों का आदान – प्रदान करने के लिए जिस माध्यम को अपनाता है वही भाषा है। भाषा के दो रूप हैं – मौखिक एवं लिखित। मौखिक रूप का प्रयोग करने के लिए हम सुनने व बोलने की क्रिया करते हैं। और लिखित रूप का प्रयोग करने के लिए पढ़ने व लिखने की।

बच्चा सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर विचारों का आदान–प्रदान करता है। अतः इन योग्यताओं को विकसित करना ही भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। किसी भी भाषा के सीखने के चार चरण हैं जो क्रमशः सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है।

भाषा के कौशल



¹ प्रराद. वासुदेवनन्दन, (1999) "आधुनिक हिन्दी व्याकरण और रचना"

इन चारों कौशलों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है इनका विकास क्रम में होता है, जैसे बिना सुने बोला नहीं जा सकता। बोलने के लिए सुनना अत्यन्त आवश्यक है। तत्पश्चात् वह पढ़ना और लिखना सीखता है। अतः इन चारों में से यदि पहले कौशल का विकास बच्चे में नहीं हो पाया, तो वह आगे के कौशल नहीं सीख सकता। सुनना व बोलना किसी भाषा को सीखने का पहला चरण है इसलिए इसको प्राथमिक या निवेशी कौशल के नाम से जाना जाता है तथा पठन व लेखन इनके फलस्वरूप ही विकसित होते हैं अतः इन्हे द्वितीय या निर्गत कौशल की संज्ञा दी गयी है।

छात्रों में इन चार भाषा कौशलों को विकसित कर उनमें विचारों के आदान – प्रदान अर्थात् दूसरों के भाव व विचार ग्रहण करने और अपने भाव व विचार व्यक्त करने की क्षमता व योग्यता विकसित की जाती है। छात्रों में यह क्षमता व योग्यता विकसित हुई है या नहीं इसका पता उनमें होने वाले व्यवहारगत परिवर्तनों से लगाया जाता है।

1.1.6 प्राथमिक स्तर पर इन कौशलों का महत्व

भाषा एक कौशल है। कौशल में प्रवीणता के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। यदि बच्चे को छोटी आयु से ही किसी कौशल का अभ्यास कराया जाता है तो वह उस कौशल पर शीघ्र ही पूर्णता के साथ अधिकार प्राप्त कर लेता है। बच्चे में अनुकरण की प्रवृत्ति होने के कारण वह कौशल का अनुकरण बड़ी तीव्रता के साथ करता है।

भाषायी कौशलों के शिक्षण की दृष्टि से भी बालक की शिक्षा के प्राथमिक स्तर का महत्वपूर्ण स्थान है, बच्चों की शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में अनुकरण प्रवृत्ति तीव्र होती है और भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। अतः प्राथमिक स्तर पर बच्चों को बहुत सुगमता व सहजता के साथ इन भाषा के कौशलों का अभ्यास कराया जा सकता है। वैसे तो बच्चे प्राथमिक स्तर पर पहली कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व चारों भाषा के कौशलों का कुछ न कुछ ज्ञान रखते हैं। परन्तु यह जरूरी नहीं कि उनका यह ज्ञान शुद्ध ही हो।

आवश्यकता इस बात की है कि अध्यापक यह पता लगाए कि कक्षा में प्रवेश करने से पूर्व बालक कितना कुछ जान चुका है। इसी पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर भाषा के चारों कौशलों का उत्तरोत्तर विकास किया जा सकता है।

अध्यापक यह भी पता लगाए कि उसका कितना ज्ञान शुद्ध है और कितना अशुद्ध। अशुद्ध ज्ञान को शुद्ध करना होता है। क्योंकि बाल्यावस्था में जो छाप मस्तिष्क पर पड़ जाती है वह अमिट होती है। अतः प्रथम कक्षा से ही बच्चे को शुद्ध उच्चारण, शुद्ध बोलने, पढ़ने–लिखने आदि का अभ्यास कराया जाए।

प्राथमिक स्तर पर बालक की आयु बहुत लचीली होती है। इस आयु में उसके अशुद्ध ज्ञान को शुद्ध करना आसान होता है। अतः चारों भाषा के कौशलों को विकसित करने की दृष्टि से प्राथमिक स्तर अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

इस आयु में बालक की मांसपेशियों में भी लचीलापन होता है। लिखित कौशल को विकसित करने की दृष्टि से सुन्दर, सुडौल लेख का अभ्यास कराने के लिए यही समय सर्वथा उपयुक्त है। बालक की ऊँगलियों का हम विभिन्न वर्णों के लेखन की दृष्टि से जिन दिशाओं से छुमाने का अभ्यास करा देंगे वह आयु पर्यन्त के लिए स्थायी प्रभाव छोड़ देगा। यदि इस समय सुडौल लेख का अभ्यास करा दिया जाए तो बालक का लेख हमेशा के लिए सुन्दर व सुडौल हो जाएगा।

यही बात उच्चारण व मौखिक अभिव्यक्ति की है। यदि बालक की जिहवा को उचित स्थान का स्पर्श करने का अभ्यास कराकर उसे शुद्ध ध्वनि—उच्चारण सिखा दिया जाएगा तो वह हमेशा ही मौखिक अभिव्यक्ति में शुद्ध उच्चारण करेगा। इसी प्रकार बोलचाल के लिए भी अवसर प्रदान कर यदि बच्चे का संकोच व हिचक दूर कर उसमें बोलने के लिए आत्म विश्वास पैदा कर दिया जाए तो वह बालक जीवन में कभी भी, किसी भी क्षेत्र में विचाराभिव्यक्ति में घबराएगा नहीं।

आवश्यकता इस बात की है कि अध्यापक का व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण हो, बच्चे के मन से डर दूर कर दिया जाए, उसे खुलकर बोलने के अवसर प्रदान किए जाएँ तथा उसकी त्रुटियों को प्यार के साथ समझाकर दूर कराया जाए।

विद्यालय में समय—समय पर विभिन्न प्रकार की भाषा संबंधी क्रियाएँ व खेल आयोजित किए जाएँ जिनमें बच्चों को इन कौशलों के अभ्यास का अवसर मिले।

इस प्रकार सुनकर विचार व भाव ग्रहण करने, बोलकर विचार व्यक्त करने, पढ़कर अर्थग्रहण करने एवं लिखकर विचार व्यक्त करने की पहली सीढ़ी या नींव यह ‘प्राथमिक स्तर’ ही है।

यह प्राथमिक स्तर ही शिक्षा के भावी स्तरों का आधार है। प्राथमिक स्तर पर बालक में विकसित की गई योग्यता एवं कौशल ही माध्यमिक एवं उच्चतर स्तर तक उत्तरोत्तर विकसित होते रहते हैं। यदि प्राथमिक स्तर पर बालक किसी भी कौशल का अर्जन पूर्ण रूप से नहीं कर पाएगा तो आगे के स्तरों में उस कौशल के संबंध में वह पिछड़ा ही रहेगा। इसलिए प्राथमिक स्तर पर इन चारों कौशलों का ठीक रूप से ज्ञान एवं अभ्यास अत्यन्त आवश्यक है। अध्यापक को इस विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए।


1.1.7 पठन कौशल / वाचन कौशल

अर्थ — पढ़ने की शिक्षा के लिए वाचन व पठन दो शब्दों का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है। वाचन शब्द वाक् धातु से बना है, जिसका अर्थ है — शब्द, वाणी अथवा कथन। लिखे हुए अथवा छपे हुए शब्दों का उच्चारण करना वाचन कहलाता है, परन्तु यह वाचन का संकुचित अर्थ है। वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को पठन या वाचन कहा जाता है।

पठन एक सोदेश्य, सार्थक तथा चिन्तन प्रधान क्रिया है। पठन करते हुए, जैसे—जैसे पढ़ने वाले की दृष्टि छपे हुए शब्दों पर धूमती है वैसे—वैसे वह उन शब्दों में निहित अर्थ एवं भाव को भी ग्रहण करता जाता है। वास्तव में यही पठन या वाचन का सही रूप है।

वाचन के रूप

सामान्यतः वाचन दो प्रकार का होता है



(1) सस्वर वाचन

स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को सस्वर वाचन कहा जाता है। यह वाचन की प्रारंभिक अवस्था होती है। वर्णमाला के लिपिबद्ध वर्णों की पहचान सस्वर वाचन के द्वारा ही कराई जाती है। शब्द और वाक्यों को शुद्ध उच्चारण के साथ उचित गति से पढ़ने का अभ्यास सस्वर वाचन के द्वारा ही कराया जाता है। सस्वर वाचन दो प्रकार का होता है :

- (क) व्यक्तिगत वाचन
- (ख) सामूहिक वाचन
- (क) व्यक्तिगत वाचन

एक व्यक्ति द्वारा आवाज करते हुए किए जाने वाले सस्वर वाचन को व्यक्तिगत वाचन कहा जाता है। अध्यापक के द्वारा किए जाने पर इसे आदर्श वाचन एवं छात्र द्वारा किए जाने पर अनुकरण वाचन कहा जाता है। अध्यापक के आदर्श वाचन को सुनकर छात्र वाचन करने के ढंग से परिचित होते हैं और उसी का अनुकरण कर स्वयं पढ़ने का प्रयास करते हैं छात्रों के अनुकरण वाचन से अध्यापक को छात्रों के वाचन करने की योग्यता का ज्ञान होता है। अतः अध्यापक को अनुकरण वाचन के समय बहुत सावधान रहना चाहिए। उसे देखना चाहिए कि बच्चा कहाँ उच्चारण ठीक कर रहा है, कहाँ गलत ? उचित गति, हावभाव आरोह-अवरोह एवं विराम-विहनों का पालन ठीक से कर रहा है या नहीं ?

- (ख) सामूहिक वाचन

दो या दो से अधिक छात्रों द्वारा आवाज सहित किए जाने वाले वाचन को सामूहिक वाचन कहते हैं। इस वाचन से बच्चों की दिझाक दूर होती है। उनमें मौखिक अभिव्यक्ति के लिए आत्मविश्वास का संचार होता है। इसे 'समवेत वाचन' भी कहते हैं। समवेत वाचन के समय अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए कि सभी छात्र मुख से आवाज निकाल रहे हैं या नहीं। साथ ही इस बात का ध्यान रहे कि वाचन सही ढंग से हो, शोर में परिवर्तन न हो जाए।

➤ सस्वर वाचन का महत्व

जब प्राथमिक अवस्था में वाचन-कौशल को विकसित करने के लिए प्रयास आरंभ करते हैं तो सर्वप्रथम सस्वर वाचन ही कराया जाता है। बालक जब आवाज करते हुए पाठ्य-सामग्री को पढ़ता है तो इससे उसे आनन्द की प्राप्ति होती है। धीरे-धीरे वाचन के प्रति उसकी रुचि बढ़ती जाती है। सस्वर वाचन के द्वारा ही बच्चे को शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जाता है। साथ ही उचित गति, बल, विराम हाव-भाव तथा आरोह-अवरोह के साथ पढ़ने का अभ्यास होता है। जो बच्चा सस्वर वाचन में कुशल होता है वह मौखिक अभिव्यक्ति में भी कुशल होता है क्योंकि सस्वर वाचन से उसकी हिचक व संकोच समाप्त हो जाते हैं और वह आत्मविश्वास के साथ किसी के सामने अपने विद्यार्थियों को व्यक्ति करने में समर्थ हो जाता है।

सस्वर वाचन करते समय नए-नए शब्द बच्चा पढ़ता है, इससे उसका शब्द भण्डार बढ़ता है। नए-नए मुहावरों व लोकोक्तियों का ज्ञान होता है। विषयवस्तु को समझने का प्रयास करने से अर्थग्रहण की योग्यता बढ़ती है। नई-नई बातों की जानकारी होती है और ज्ञान में वृद्धि होती है। वाचन में रुचि विकसित होने से धीरे-धीरे स्वाध्याय की आदत विकसित होती है। कविताओं का सस्वर वाचन करने पर उनसे आनन्द की प्राप्ति होती है और रसास्वादन की योग्यता विकसित होती है। स्ट्रैंग का कहना है कि - "पढ़ते समय व्यक्ति की अनुभूतियाँ जाग्रत होती हैं और उसमें भावोद्रेक होता है। वह पाठ्य वस्तु को पसन्द करता है या नापसन्द, उससे सहमत होता है या

असहमत, उसके प्रति सन्तोष व्यक्त करता है या असन्तोष। पाठक केवल विचार ही ग्रहण नहीं करता वरन् विचारों की सृष्टि भी करता है।¹

अतः भाषा – शिक्षण में सख्त वाचन का अपना विशेष महत्व है।

(2) मौन वाचन –

लिपिबद्ध भाषा अर्थात् लिखित सामग्री को बिना आवाज किए हुए मन-ही-मन में शान्तिपूर्वक पढ़कर अर्थग्रहण करने की क्रिया को मौन वाचन कहा जाता है।

इसमें नेत्र पाठ्य-सामग्री को जल्दी-जल्दी पढ़ते हैं और स्थितिक उस सामग्री के अर्थ को ग्रहण करता जाता है। इसमें बिना होंठ हिलाए बच्चा मन में पढ़ता है।

➤ मौन वाचन का महत्व

सख्त वाचन का अभ्यास कराने के पश्चात् बच्चों को मौन वाचन का अभ्यास कराया जाता है। जीवन में ऐसे बहुत से अवसर आते हैं जब व्यक्ति सख्त वाचन नहीं कर सकता है, जैसे-बहुत से लोगों की उपस्थिति में आवाज करते हुए पढ़ना अच्छा नहीं लगता। इससे दूसरों को बाधा पहुँचती है। ऐसी स्थिति में मन-ही-मन में पढ़ना जरूरी होता है। अतः हर बच्चे को मौन वाचन का अभ्यास होना जरूरी है। पुस्तकालय एवं वाचनालयों में या सार्वजनिक स्थानों पर, जहाँ जोर से पढ़ना वर्जित होता है, मौन वाचन करना पड़ता है।

मौन वाचन में पढ़ने की गति भी तेज होती है। अतः कम समय में अधिक पाठ्य सामग्री का अध्ययन किया जाता है। आँखें झटके के साथ बीच-बीच में रुकती हुई आगे बढ़ती हैं। मौन वाचन में चक्षुगति का समुचित विकास होने से दृष्टि-विराम कम होते जाते हैं और पढ़ने की गति तेज रहती है।

मौन पठन के समय पाठक एकाग्रचित होकर, ध्यान केन्द्रित कर पढ़ता है, अतः इस समय ग्रहण किया गया अर्थ अधिक स्थायी होता है। साथ ही अर्थग्रहण करने की योग्यता का विकास होता है।

अवकाश के समय का सदुपयोग करने में भी मौन वाचन ही सहायक होता है। खाली समय में मनोरंजक पाठ्य-सामग्री का आनन्द मौन वाचन के द्वारा ही लिया जाता है।

मौन वाचन से ही स्वाध्याय की आदत का विकास होता है। गहन अध्ययन वही व्यक्ति कर सकता है जिसे मौन वाचन का अभ्यास है।

1.1.8 लेखन कौशल

अर्थ – सामान्य रूप से लिखकर विचारों को अभिव्यक्त करना लेखन कौशल या लिखित अभिव्यक्ति कहा जाता है। लिपि का ज्ञान प्राप्त करने के उपरान्त भाषा के लिखित रूप का प्रयोग कर व्यक्ति अपने भावों और विचारों को लेखन कौशल के द्वारा स्थायित्व प्रदान करता है। साहित्य के स्थायित्व एवं समृद्धि का मुख्य आधार वह लिखित अभिव्यक्ति ही है।

लेखन कला व्यक्ति की सफलता का मूलमंत्र है, इसके अभाव में व्यक्ति कितना ही पढ़ा लिखा हो यदि वह अपने विचारों एवं भावों को लिखित रूप में व्यक्त नहीं कर पाता है, यदि उसका हस्तलेखन ठीक नहीं है तो वह सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों पर अच्छा प्रभाव नहीं डाल सकता। अच्छे लेखन की शक्ति अद्भुत होती है, यही वह कला है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को

¹ मंगल, जगा (1991) "हिन्दी शिक्षण"

लिखकर जन-जन तक पहुँचा सकते हैं। 'कलम बड़ी या तलवार' कविता में जहाँ कलम को तलवार से श्रेष्ठ निरूपित किया गया है वहाँ वस्तुतः लेखन कला की उत्कृष्टता की सराहना की गई है।

महात्मा गांधी के अनुसार – “शुद्ध लेखन शिक्षा का आवश्यक अंग है।”¹

लेखन कौशल का महत्व

लेखन कौशल के महत्व को हम निम्न रूप से स्पष्ट कर सकते हैं –

- अपने विचारों को सुरक्षित रखने के लिए लिखित अभिव्यक्ति की आवश्यकता है लिखकर हम अपने विचारों को सदियों के लिए स्थायित्व प्रदान कर सकते हैं।
- जीवन के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ केवल मौखिक अभिव्यक्ति से काम नहीं चल सकता। दूर रहने वाले मित्र या संबंधी को अपना संदेश देने, एक-दूसरे के साथ कोई कार्य करने या अन्य कोई समाचार पहुँचाने के लिए लिखित भाषा की आवश्यकता होती है।
- दैनिक जीवन का विवरण रखने, घर का दैनिक हिसाब—किताब रखने आदि व्यावहारिक कार्यों में लिखित भाषा का प्रयोग करना पड़ता है।
- भाषा के दो रूप हैं – मौखिक एवं लिखित। अतः भाषा पर पूर्ण अधिकार की दृष्टि से भी लेखन कौशल का विकास आवश्यक है।
- शिक्षा ग्रहण करते समय पठित सामग्री को संगठित करने, प्रश्नों का उत्तर तैयार करने, पाठ का सार तैयार करने, गृहकार्य करने आदि में लेखन—कौशल की आवश्यकता होती है।
- हमारे पूर्वजों की सभ्यता और संस्कृति को लिखित भाषा ने ही हम तक पहुँचाया है। इसी प्रकार हमारी संस्कृति आगे आने वाली पीढ़ी तक भी लिखित भाषा के माध्यम से ही हस्तांतरित होती रहेगी।
- लिखित भाषा बालक के हाथ और मस्तिष्क में सन्तुलन बनाकर रखती है। भाषा में एकरूपता लाती है।
- लिखित भाषा ही साहित्य के भण्डार में वृद्धि करती है। यदि लिपि न होती तो आज साहित्य कहाँ से आता ? यदि लेखन कौशल न होता तो नई—नई रचनाएँ कहाँ से आती ?
- आधुनिक शिक्षा—प्रणाली की प्रमुख विशेषता 'परीक्षा' है। इसके बिना शिक्षा—प्रणाली की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेखन कौशल के द्वारा ही बच्चे की योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है।
- देश—विदेश में हो रहे ज्ञान विज्ञान आदि से परिचित कराने का मुख्य साधन लिखित भाषा ही है।
- व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रगति का आधार भी लिखित भाषा है। मौखिक रूप से कार्य व्यवसाय में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। हर व्यवसाय में तरह—तरह के रिकार्ड आदि लिखकर रखने पड़ते हैं।
- आज तो लेखन एक स्वतंत्र व्यवसाय के रूप में भी मानव जाति का कल्याण कर रहा है अनेक व्यक्ति अपनी लेखनी की कला से ही अपनी रोजी—रोटी की व्यवस्था कर रहे हैं।

¹ बंसल, रामविलास (1999) प्रा. शिक्षक एन.सी.ई.आर.टी.

1.2.0 समस्या कथन

कक्षा सात के विद्यार्थियों का हिन्दी भाषा कौशलों का अध्ययन

1.3.0 पदों व संकल्पनाओं की परिभाषा

बच्चे सुनकर, बोलकर, पढ़कर और लिखकर विचारों का आदान—प्रदान करते हैं। अतः इन योग्यताओं को विकसित करना ही भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। इन्हें ही भाषा शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्य कहा जाता है। ये कौशलात्मक उद्देश्य ही भाषा कौशल कहे जाते हैं। ये चार हैं – श्रवण, पठन, कथन और लेखन।

- (1) श्रवण कौशल – सुनकर अर्थ ग्रहण करना।
- (2) पठन कौशल – पढ़कर अर्थ ग्रहण करना।
- (3) कथन कौशल – बोलकर विचार व्यक्त करना।
- (4) लेखन कौशल – लिखकर विचार व्यक्त करना।

1.4.0 अध्ययन की आवश्यकता

भाषा भावाभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। कुछ लोग अपने विचारों को बड़े ही प्रभाव पूर्ण तरीके से बोलकर एवं लिखकर व्यक्त करते हैं। वही दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत सारी सूचनाओं के होते हुए भी भाषा अधिगम में कठिनाई होने के कारण उन्हें कुशलतापूर्वक व्यक्त नहीं कर पाते हैं।

कई प्रकार की संवाद स्थितियों में जैसे – फोन पर किसी को सुनकर संदेश को दर्ज करना कई कौशल एक साथ उपयोग में लाने पड़ते हैं। हम सचमुच चाहते हैं कि – बच्चे समझ के साथ पढ़े—लिखें। भाषा कौशलों के पुंज के रूप में, चिंतन और अरिमता के रूप में स्कूल के सभी विषयों में मौजूद है। बोलना और सुनना, पढ़ना और लिखना सभी सामान्य कौशल है, और उनमें बच्चों की दक्षता, स्कूल में उनकी सफलता को प्रभावित करती है। कई स्थितियों में इन सभी कौशलों को एक साथ उपयोग में लाने की जरूरत होती है। इसलिए भाषा कौशल को ध्यान में रखकर सिखाना अति आवश्यक है।

प्रस्तुत शोध कार्य में विद्यार्थी की मातृभाषा गुजराती होने के कारण हिन्दी में लिखना, बोलना, सुनना व पढ़ना होगा तो कठिनाई महसूस करते हैं। एवं छात्र के अंदर भाषा के कौशलों का विकास न होने के कारण भी हिन्दी भाषा में। कठिनाई होती हैं यह कठिनाई दूर करने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कौशलों को ध्यान में रखकर पढ़ाना अति आवश्यक है।

हिन्दी भाषा लेने का कारण यह है कि बच्चों को ज्यादा मुश्किलों का सामना हिन्दी भाषा में करना पड़ता है।

1.5.0 अध्ययन के उद्देश्य

- (1) कक्षा सात के शासकीय विद्यालय के छात्र तथा छात्राओं के पठन कौशल का अध्ययन करना।
- (2) कक्षा सात के अशासकीय विद्यालय के छात्र तथा छात्राओं के पठन कौशल का अध्ययन करना।

- (3) कक्षा सात के शासकीय विद्यालय के छात्र तथा छात्राओं के लेखन कौशल का अध्ययन करना।
- (4) कक्षा सात के अशासकीय विद्यालय के छात्र तथा छात्राओं के लेखन कौशल का अध्ययन करना।
- (5) कक्षा सात के शासकीय तथा अशासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों के पठन कौशल का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- (6) कक्षा सात के शासकीय तथा अशासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों के लेखन कौशल का तुलनात्मक अध्ययन करना।
- (7) कक्षा सात के शासकीय—अशासकीय विद्यालय के छात्र तथा छात्राओं के पठन कौशल का तुलनात्मक अध्ययन।
- (8) कक्षा सात के शासकीय—आशासकीय विद्यालय के छात्र तथा छात्राओं के लेखन कौशल का तुलनात्मक अध्ययन करना।

1.6.0 शून्य परिकल्पनाएँ

गुड और हैट के अनुसार “परिकल्पना यह बताती है कि हमें क्या खोज करनी है। परिकल्पना भविष्य की ओर देखती है। यह एक तर्क पूर्ण वाक्य होता है जिसकी वैधता की परीक्षा की जा सकती है। यह सत्य भी सिद्ध हो सकती है और असत्य भी सिद्ध हो सकती है।”¹

प्रस्तुत शोधकार्य में शोधकर्ता द्वारा अध्ययन उद्देश्य के आधार पर शून्य परिकल्पनाएँ बनाई हैं जो इस प्रकार हैं।

- 1 कक्षा सात के शासकीय विद्यालय के छात्र तथा छात्राओं के पठन कौशल में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
- 2 कक्षा सात के अशासकीय विद्यालय के छात्र तथा छात्राओं के पठन कौशल में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
- 3 कक्षा सात के शासकीय विद्यालय के छात्र तथा छात्राओं के लेखन कौशल में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
- 4 कक्षा सात के अशासकीय विद्यालय के छात्र तथा छात्राओं के लेखन कौशल में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- 5 कक्षा सात के शासकीय तथा अशासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों के पठन कौशल में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- 6 कक्षा सात के शासकीय तथा अशासकीय विद्यालय के विद्यार्थियों के लेखन कौशल में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- 7 कक्षा सात के शासकीय—अशासकीय विद्यालय के छात्र तथा छात्राओं के पठन कौशल में कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- 8 कक्षा सात के शासकीय—अशासकीय विद्यालय के छात्र तथा छात्राओं के लेखन कौशल में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

¹ राय, पारसनाथ. (2006) “अनुसंधान परिचय”

1.7.0 सीमांकन

इस लघुशोध प्रबंध की निम्नलिखित परिसीमाएँ हैं –

- (1) प्रस्तुत अध्ययन में गुजरात राज्य के अमरेली शहर को ही लिया गया है।
- (2) इस अध्ययन में एक शासकीय और एक अशासकीय प्राथमिक शाला को ही लिया गया है।
- (3) यह अध्ययन कक्षा सात के 80 विद्यार्थियों तक सीमित है।
- (4) इस अध्ययन में भाषा के दो ही कौशल पठन कौशल और लेखन कौशल को लिया गया है।
